न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2215 सन 2025

(CNR No. UPFT-010055822025)

रोहित निषाद पुत्र सुरेश निषाद निवासी ग्राम गोतनी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ (उ0प्र0)।

..... आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजक

अपराध संख्या: 306 सन 2025

धारा: 112, 317(2) भारतीय न्याय संहिता

थाना: किशनपुर, जनपद फतेहपुर।

23.12.2025:

आवेदक/अभियुक्त रोहित निषाद की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 306 सन 2025 धारा 112, 317(2) भारतीय न्याय संहिता थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से राहुल कुमार द्वारा इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो दिया गया, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा/वरिष्ठ उपनिरीक्षक इन्द्रपाल सिंह मय हमराही पुलिस कर्मचारीगण के दिनांक 12.12.2025 को देखभाल क्षेत्र, जांच व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन में रामपुर तिराहा पर थे कि तभी जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि दो व्यक्ति एक बिना नम्बर की मोटरसाइकिल के बैंक आफ बड़ौदा एटीएम व इण्डिया नम्बर 1 एटीएम कस्बा किशनपुर के आसपास व कस्बे में घूम रहे है जो संदिग्ध लग रह है, मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस बल मय मुखबिर बताये हुए स्थान की ओर चले तथा मुखबिर ने इशारा करके बताया एवं हटबढ़ गया, पुलिस बल को देखकर उक्त मोटरसाइकिल सवार भागने का प्रयास किया तो पुलिस बल ने रामपुर तिराहा से लगभग 5–7 मीटर दूर नागा बाबा कुटी की ओर घेर घारकर पकड़ लिया तथा नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम रोहित निषाद बताया जिसके कब्जे से 28

अदद एटीएम कार्ड व मु0 100/– रूपये बरामद हुए तथा दूसरे ने अपना नाम शुभम सोनकर बताया जिसके कब्जे से 21 अदद एटीएम कार्ड व मु0 200/– रूपये बरामद हुए तथा पूछने अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वे लोगों की जेब/पाकेट से एटीएम चोरी कर कार्ड में हेराफेरा करते हुए पैसे की चोरी करते है तथा मोटरसाइकिल के प्रपत्र नहीं दिखा सके एवं ई चालान एप पर चेक करने पर उक्त मोटरसाइकिल का स्वामी रोहित निषाद को होना पाया गया। फर्द बरामदगी में उक्त दोनों के कब्जे से बरामद विभिन्न बैंकों के विभिन्न व्यक्तियों के नाम के एटीएम कार्डो का विवरण उल्लिखित करते हुए अभियुक्तगण को अपराध से अवगत कराकर अभिरक्षा में लिया गया तथा फर्द मौके पर तैयार की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुना तथा केस डायरी आदि अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क रखा गया कि आवेदक निर्दोष है, उसे इस मामले में गांव की पार्टीबंदी व रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदक ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कथित घटना में आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दर्शायी है। कथित घटना/बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। आवेदक के विरूद्ध कथित अपराध नहीं बनता है। आवेदक गरीब मजदूरपेशा व्यक्ति है। आवेदक दिनांक 13.12.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदक/अभियुक्त सहित सह अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी द्वारा मौके पर गिरफ्तार किया गया तथा आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से विभिन्न बैंकों के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के नाम के कुल 28 अदद एटीएम कार्ड व मु0 100/– रूपये बरामद किये गये तथा सह अभियुक्त के कब्जे से विभिन्न बैंकों के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के नाम के कुल 21 अदद एटीएम कार्ड व मु0 200/– रूपये बरामद किये गये एवं आवेदक/अभियुक्त सहित सह अभियुक्त ने लोगों के एटीएम कार्ड चोरी कर उनमें हेराफेरा करते हुए उनके पैसे चोरी करने की स्वीकारोक्ति किया है। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित की गयी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त का प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त दस अन्य मामलों का लम्बा आपराधिक इतिहास है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 12.12.2025 को उपनिरीक्षक इन्द्रपाल निषाद के नेतृत्व की पुलिस पार्टी द्वारा आवेदक/अभियुक्त सहित सह अभियुक्त शुभम सोनकर को गिरफ्तार किया गया तथा आवेदक/अभियुक्त रोहित निषाद के कब्जे से विभिन्न बैंकों के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के नाम के कुल 28 अदद एटीएम कार्ड व मु0 100/– रूपये तथा सह अभियुक्त नाम शुभम सोनकर के कब्जे से विभिन्न बैंकों के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के नाम के कुल 21 अदद एटीएम कार्ड व मु0 200/– रूपये बरामद किया जाना उल्लिखित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त को मौके पर गिरफ्तार किया जाना बताया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क रखा गया कि आवेदक/अभियुक्त सहित सह अभियुक्तगण जनपद प्रतापगढ़ के निवासी है तथा उन्हें फतेहपुर में गिरफ्तार किया गया है, ऐसी स्थिति में रंजिशन झूंठा फंसाये जाने का कोई औचित्य नहीं है तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा बरामदशुदा एटीएम के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि उसके पास भिन्न भिन्न बैंकों के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के नाम के इतने अधिक एटीएम कार्ड किस प्रकार और क्यों थे जिससे स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा लोगों के एटीएम चोरी कर उनके हेराफेरा करते हुए लोगों के पैसे चोरी किये जाते है। उनकी ओर से यह भी कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त का प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त 10 अन्य मामलों का लम्बा आपराधिक इतिहास है जो विभिन्न जनपदों के है और जिनमें अधिकतर प्रकरण चोरी, लूट, बरामदगी एवं चोरी की वस्तुओं का अभ्यासत: व्यापार तथा गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित है। प्रकरण की विवेचना प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में, मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त, संतोषजनक व युक्तियुक्त आधार मौजूद नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त रोहित निषाद की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक: 23.12.2025

(**रामकिशोर–III**)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।